न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः 107/2023 GCMS No.—2023/111

1. किशन पुत्र मांगू
2. रमेश पुत्र परागो
3. राधेश्याम पुत्र जगदीश

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णा पुत्री परसा पुत्र ईशरा
2. बिदामी पुत्री परसा पुत्र ईशरा
3. सुरेश पुत्र परसा
4. गीता पत्नी सत्यनारायण पुत्र परसा
5. दशरथ पुत्र सत्यनारायण पुत्र परसा
6. नरेश कुमार पुत्र सत्यनारायण पुत्र परसा
7. माया पुत्री सत्यनारायण पुत्र परसा
8. संजय पुत्र गिरधारी पुत्र परसा
9. लिक्ष्मा पुत्री गिरधारी पुत्र परसा

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

10. अशोक सिंह वर्मा पुत्र हनुमान सहाय वर्मा जाति बलाई निवासी वार्ड नंबर 4 बुनकर का मौहल्ला तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 27.10.1977 बाबत भूमि खसरा नंबर 571/6 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा।

उपस्थितः–

1. श्री एस.जे.गिरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6 ,10 की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.07.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति (उप जिलाधीश आमेर) के आदेश दिनांक 27.10.1977 जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज परसा पुत्र ईशरा जाति रैगर निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 571/6 में रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन किया से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या–3, 4, 6, 7, 10 की ओर से श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

संख्या–12 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पत्रावली पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगणों ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.1977 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक लगायत 9 के पूर्वज परसा पुत्र ईसरा को ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नम्बर 571/6 में से रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा आवंटन नियम विरूद्व एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि खसरा नंबर 571/6 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ सिवाय चक भूमि थी। विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 571/6 भूमि पर अपीलांट के पूर्वजों घासी वल्द गणेश मीणा का कब्जा काश्त था तथा पूर्वज अपने मकानात बाडे बनाकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा बिजली का कनेक्टशन लगा रखा था आवंटन परसा पुत्र ईशरा जाति रैगर के नाम कर दिया गया जो पूर्णतः अवैध व निरस्तनीय है। उपरोक्त वर्णित आवंटन के आधार पर परसा पुत्र ईशरा रैगर के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया परसा पुत्र ईशरा ने उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं की परन्तु उसके पश्चात भी गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। आवंटन से पूर्व उपरोक्त वर्णित भूमि को आवंटित किये जाने हेतु ना तो आवंटन योग्य भूमि की कोई सूची प्रकाशित की गई और ना ही उक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई उद्घोषणा प्रकाशित की गई और ना ही ग्रामवासियों को उक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई जानकारी दी गई बाह्य नियमों के विपरीत किया गया उपरोक्त वर्णित आवंटन आदेश पूर्णतः अवैध व अनियमित होने की वजह से निरस्तनीय है। यह कि यदि वास्तव में आवंटन योग्य की कोई सूची प्रकाशित ना किये जाने तथा आवंटन के लिये उद्घोषणा जारी ना किये जाने से ग्राम के काबिज व्यक्ति प्राथमिकता रखने वाले भूमिहीन काश्तकार व्यक्तियो को उक्त भूमि का दिनांक 27.10.1977 को आवंटन आदेश पारित कर दिया गया जो नियमों के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के 1/2 भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण भूमि पर कृषि कार्य सम्पादित करता परन्तु आवंटी ने आवंटन के नियमों की कोई पालना नहीं की और इसलिये भी आवंटन बाध्य नियमों की पालना ना किये जाने की वजह से निरस्तनीय है। विवादित भूमि पर अपीलांट एवं उसके पूर्वजों का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं अपीलांट को उसके अधिकारों से वंचित करते हुए आवंटन आदेश अप्रार्थी के पूर्वज के नाम से जारी किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणो के पूर्वज परसा पुत्र ईशरा रैगर सा0 गठवाडी के हक में दिनांक 27.10.1977 को ग्राम गठवाडी तहसील जवारामगढ स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 571/6 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा संख्या 29/2000

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

बउनवानी कृष्णा बनाम सरकार बाबत घोषणा खातेदारी कार्य किया था जिसमें अपीलांट ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पार्टी बनने की दरखास्त लगायी थी जिसके न्यायालय ने बाद सुनवाई इस निष्कर्ष पर प्रार्थीगण श्री किशन वगैरह का इस विवादित भूमि में कोई विधिक अधिकार निहित नहीं है इनके द्वारा बिना कानूनन के वादीगण कृष्णा वगैरह जो कि एस.सी. कैटेगरी से बिलोंग करते है के विधिक अधिकारो का हनन किया जा रहा है। अतः कृष्ण वगैराह के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज व निरस्त किया जाता है। उक्त दावे की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज की गयी। प्रार्थीगण द्वारा मियाद के बिन्दु पर वर्णित तथ्य गलत है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थना पत्र 14(4) लागू नहीं होता है एवं आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2011 (1) RRT Page 270, 2011 RRD Page 509, 1995 RRD Page 216&217, 1996 RRD page 511&513,** आदि पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार की दलील है कि प्रकरण में आवंटी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्धद दस्तावेजात, तथा वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया तथा तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में आवंटी पारस पुत्र ईशरा जाति रैगर निवासी ग्राम गठवाडी, तहसील जमवारामगढ के खसरा नंबर 517/6 में 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक खसरा नंबर 571/6 रकबा 0.35 है0 किस्म बारानी–2 अशोक सिंह पुत्र हनुमान सहाय वर्मा के नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में आवंटी को तत्समय आवंटित भूमि की किस्म सिवाय चक थी एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार भी बारानी अंकित है तथा आवंटी स्व. पारस पुत्र ईशरा के वारिसान के द्वारा भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 10 को किया गया जिसके संबंध में नामान्तकरण संख्या 1238 दिनांक 27.07.2023 को स्वीकृत हो चुका है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण में आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि नहीं है। 2011(1) **RRT 383** राजस्थान हाई कोर्ट में अभिलिखित है कि आवंटन के 30 वर्ष बाद आवेदन पेश किया आवेदन खारिज किया गया वर्ष 1968 में भूमि आवंटित की गयी निचले न्यायालयों ने इतने लम्बे विलम्ब के बाद शक्तियों का उपयोग करने से इन्कार किया, निर्णीत, आदेशों में त्रुटि नहीं है। **2011(2) RRT** 1205 राज. उच्च न्यायालय में अभिलिखित है कि आवंटन के 40 वर्ष बाद आवेदन पेश किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु मामला नहीं पाया और आवेदन खारिज किया गया–निर्णीत, आदेश में अधिकारिता की त्रुटि नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आक्षेप किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

प्रार्थीगण का कब्जा रहा है। 2011(1) आर.आर.टी पेज 270 माननीय राजस्व मण्डल में पारित निर्णय अनुसार **Allotment cannot be cancelled on the ground that the trespasser has possession over the land.** पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार/आंवटी के वारिसान द्वारा दावा बाबत घोषणा खातेदारी न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ द्वारा दिनांक 11.01.2021 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उक्त वाद में अपीलांट द्वारा भी चाराजोई की गयी थी। न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट) जमवारामगढ के आदेश दिनांक 11.01.2021 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील की गयी तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा अपीलांट की अपील दिनांक 06.07.2023 को खारिज की गयी। प्रशनगत प्रकरण में आवंटी/आवंटी के वारिसान के द्वारा भूमि का जरिये विक्रय पत्र बेचान किया जा चुका है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 10 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है था उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर